

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक: स्था.(रा.न्या.सो.) अवकाश / 3056 / 2024

दिनांक : 12.09.2024

श्रीमती श्वेता अग्रवाल (RJ01076), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू (टोंक) को दिनांक 17.09.2024 से 15.03.2025 तक 100 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 एवं 16.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपयोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती श्वेता अग्रवाल (RJ01076) के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान उनके न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को निम्नानुसार पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-	न्यायालय, जिसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-
01	श्रीमती पद्मिनी देशा (RJ01092), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	श्रीमती श्वेता अग्रवाल (RJ01076), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू (टोंक)

1. ऐसी प्रकरण जिनमें अतिरिक्त न्यायिक अतिरिक्तता में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निरस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निरस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती पद्मिनी देशा (RJ01092), अतिरिक्त कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकूलितपत्र सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कम से कम कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक: स्था.वी.2 (1)/64/2016/ 7293

दिनांक: 12.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 11987/दिनांक 30.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती श्वेता अग्रवाल (RJ01076), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू (टोंक)।
5. श्रीमती पद्मिनी देशा (RJ01092), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
12/9/2024

  
12/9/24  
सहायक रजिस्ट्रार